परिकल्पित प्राधिकरण और ओ. आर. एस.

ए.

बनाम

मेसर्स द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (2020 की सिविल अपील संख्या 3046-3048)

बी.

1 सितंबर, 2020

[अरुण मिश्रा**,** वाइन सरन और एस**.** रवींद्र भाट**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क नियम, 1995-2 (बी) और 2 (डी)-सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 -एस. 9 ए-प्रत्यर्थी ने जोर देकर कहा कि सऊदी अरब द्वारा बुटानोल का डंपिंग किया जा रहा था और डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की-नामित प्राधिकरण (डी. ए.) ने अपने निष्कर्षों में सऊदी अरब से आने वाली वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं माना और जांच को समाप्त कर दिया-प्रत्यर्थी द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं-उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि वह 2-ई. एच. का उत्पादक था जो 2-पी. एच. और आई. एन. ए. के लिए 'समान वस्तु' है और यह यू/आर. मानदंडों को पूरा करता है।2(ख) आर/2।आर. डंपिंग रोधी शुल्क अपास्त करना के लिए दायर करने के लिए नियम, 1995 का आर. 2 (डी)-प्रत्यर्थी द्वारा दायर पहली रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और नए सिरे से मूल्यांकन का निर्देश दिया गया था-हालांकि, डी. ए. ने अपने दिनांकित आदेश के माध्यम से डंपिंग रोधी जांच शुरू करने से इनकार कर दिया-दूसरी रिट याचिका में, दिनांकित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने डी. ए. को आई. एन. ए. के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया-इसके अनुसार, डी. ए. ने नोटिस जारी किए और प्रत्यर्थी से अद्यतन डेटा भी मांगा क्योंकि इसका प्रारंभिक आवेदन 2016 में था-उक्त आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा एक और रिट याचिका दायर की गई थी-कुछ टिप्पणियों को देखते हुए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1158 ए.

1159

अभिकल्पित प्राधिकरण और ओआरएस. v.मेसर्स द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

पहले रिमांड आदेश के संबंध में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पाए जाने से स्पष्ट रूप से इसकी प्रामाणिकता की कमी का संकेत मिलता है-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि डी. ए. ने कानून के ढांचे के भीतर काम किया और नवीनतम डेटा नहीं तो समकालीन पर विचार करना डी. ए. द्वारा वैध जांच शुरू करने के लिए एक पूर्व शर्त है-आयोजितः डी. ए., निस्संदेह, एक निर्धारित अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का पालन करता है जहां डंपिंग रोधी शुल्क लगाने या न लगाने का निर्धारण होता है-तत्काल मामले में, डी. ए. ने व्यापार उपचार जांच के लिए संचालन नियमावली (जांच की अवधि और चोट जांच अवधि) के पैरा 5.9 को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को अपेक्षाकृत समकालीन डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है-इस तरह की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता है-डी. ए. को दंडित करने में विवादित आदेश स्पष्ट रूप से गलत थे-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.08.2018,22.07.2019 के विवादित आदेश और मौजूदा डी. ए. को बदलने का निर्देश देने वाले आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।

बी.

सी.

न्यायिक समीक्षा-निर्दिष्ट प्राधिकरण के निष्कर्ष-संविधान उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 32 के तहत शक्तियां प्रदान करता है-साथ ही, संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा शिकायत द्वारा शुरू की गई चल रही जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली असाधारण विशेषताओं को छोड़कर, न्यायिक समीक्षा का उपयोग वस्तुतः डी. ए. के कार्यों की निरंतर निगरानी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए-सर्वोच्च न्यायालय ने एक से अधिक बार आगाह किया है, कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां अंतिम निष्कर्ष डी. ए.-डंपिंग रोधी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

डी.

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

एफ.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** सीमा शुल्क अधिनियम**, 1975** की धारा **9** ए और सीमा शुल्क **(**डंप किए गए सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान**,** आकलन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए**)** नियम**, 1995** द्वारा निर्धारित प्रक्रिया स्पष्ट रूप से एक इरादे का खुलासा करती है कि जांच पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और स्वयं शुल्क **(**जो विदेशी निर्यातक या देश के लिए विशिष्ट हो सकता है**-**या दोनों का संयोजन**-)** पांच साल से अधिक नहीं हो सकता है**-**जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित समीक्षा के बाद**,** उक्त अवधि की समाप्ति से पहले**,** पांच साल से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।ये समयसीमाएँ महत्वपूर्ण हैं**;** डी**.** ए**.** के लिए कर्तव्य बाध्य है

जी.

एच.

1160 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

उनका अनुसरण करें।कथित रूप से उल्लंघन करने वाले विदेशी निर्यातकों द्वारा विशेष बाजार व्यवहार के विश्लेषण में**,** यह निर्धारित करते हुए कि क्या कोई चोट मौजूद है**,** ऐसी चोट का अंतर और इसकी संभावित अवधि का निर्धारण करते हुए**,** विनिर्माण क्षमता**,** वित्तीय क्षमताओं**,** समान क्षेत्र में देश की समग्र क्षमता**,** कीमतों और स्वीकार्य अपराधी व्यवहार के अंतर के साथ**-**साथ घरेलू क्षमता**,** दक्षता आदि जैसे कई सबूतों की जांच करना शामिल है।द**.**

बी.

भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स में इस न्यायालय का निर्णय

यह देखा गया है कि जी**.** ए**.** टी**.** टी**.** और मराकेश समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में**,** डंपिंग रोधी नियमों **(**ए**.** डी**.** ए**.)** को घरेलू कानूनों में शामिल किया जाना है।मराकेश समझौते के अनुच्छेद **5.10** का प्रावधान जांच शुरू करने और निष्कर्ष निकालने के लिए समय सीमा के संबंध में सख्त है।अनुच्छेद **10** राज्यों को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ केवल एक सीमित अवधि **(**निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन **90** दिन**)** के लिए शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

सी.

अनंतिम उपायों के आवेदन की तारीख**,** जब अधिकारी प्रश्नगत फेंके गए उत्पाद के लिए यह निर्धारित करते हैं किः**.....”** यह हुआ है

डी.

1995 के नियमों के नियम **17** और **20** द्वारा प्रभावी।**[**पैरा **29] [1176-**बी**-**एफ**]**

2. एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच को पूरा करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए**,** दिशानिर्देशों में निहित है

व्यापार उपचार जांच के लिए संचालन नियमावली **(**जांच की अवधि और चोट जांच अवधि**)**

ई.

जाँच को पूरा करने के लिए आवश्यक डेटा की समकालीनता महत्वपूर्ण है।**[**पैरा **30] [1177-**ए**]**

3. इन दिशानिर्देशों का तर्क स्वयं स्पष्ट है:पिछली अवधि के लिए की गई किसी भी जांच के परिणामस्वरूप न्यूनतम शुल्क लगने की पूरी संभावना है।उदाहरण के लिए**,** यदि **2020** में**,** एंटी**-**डंपिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से **2013-14** अवधि के लिए जांच शुरू की जाती है**,** भले ही हानिकारक व्यवहार पाया जाए**,** तो शुल्क केवल सीमित अवधि का हो सकता है। इसके अलावा**,** निष्कर्ष दिए जाने के बाद की अवधि के लिए शुल्क लगाने के लिए**,** पी**.** ओ**.** आई**.** पुराने परिणाम देगा**,** और बाद की अवधि के लिए शुल्क लगाने को उचित नहीं ठहरा सकता है।इसे ध्यान में रखते हुए**,** डी**.** ए**.,** स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में**,** पैरा **5.9** को ध्यान में रखते हुए**,** प्रत्यर्थी को अपेक्षाकृत समकालीन डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इस तरह की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता।इस अदालत की राय में**,** ए

एफ.

जी.

एच.

1161

अभिकल्पित प्राधिकरण और ओआरएस. v.मेसर्स द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।

डी**.** ए**.** को दंडित करने और यहां तक कि उनके प्रतिस्थापन का निर्देश देने में विवादित आदेश स्पष्ट रूप से गलत थे**,** जो कि निर्धारित प्रक्रिया का उनका पालन प्रतीत होता है।**[**पैरा **31] [1177-**ई**-**जी**]4.** न्यायिक समीक्षा तक पहुंच नागरिकों और पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान किया गया एक मूल्यवान अधिकार है**;** संविधान उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को अनुच्छेद **226** और **32** के तहत शक्तियों से लैस करता है।साथ ही**,** संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा शिकायत द्वारा शुरू की गई चल रही जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली असाधारण विशेषताओं को छोड़कर**,** न्यायिक समीक्षा का उपयोग वस्तुतः डी**.** ए**.** के कार्यों की निरंतर निगरानी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने एक से अधिक बार आगाह किया है कि न्यायिक समीक्षा का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए**,** विशेष रूप से जहां डी**.** ए**.** द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाते हैं। **[**पैरा **32] [1178-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

एस एंड एस उद्यम बनाम नामित प्राधिकरण **(2005) 3** एस**.** सी**.** सी**. 337:[2005] 2** एस**.** सी**.** आर**. 255;** रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम

डी.

नामित प्राधिकरण (2006) 10 एस. सी. सी. 368:[2006] 6

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 1;** एंटी**-**डंपिंग महानिदेशालय बनाम**.**

संदिक इंटरनेशनल (2018) 13 एस. सी. सी. 402; एसोसिएशन

सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड **(2010)**

13 एस**.** सी**.** सी**. 733-**पर निर्भर था।

ई.

टाटा केमिकल्स बनाम भारतीय संघ**, (2008) 17** एस**.** सी**.** सी**. 180:[2008] 5** एस**.** सी**.** आर**. 320;** मोटर वाहन टायर निर्माता संघ बनाम नामित प्राधिकरण **(2011) 2** एस**.** सी**.** सी**.**

258 :[2011] 1 एस. सी. आर. 198; भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स (2017) 8 एस. सी. सी. 307:[2017] 4 एससीआर 324;

रेफ कम्र।सीमा शुल्क बनाम जी. एम. निर्यात, (2016) 1 एससीसी

एफ.

91 :[2015] 14 एस**.** सी**.** आर**. 848-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[2005] 2 एससीआर **255**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **25**

[2006] 6 पूरक।एससीआर **1**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **26 [2008] 5** एस**.** सी**.** आर**. 320** पैरा **27 [2011] 1** एस**.** सी**.** आर**. 198** पैरा **27 [2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 324** पैरा **29** को संदर्भित

जी.

एच.

1162 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

ए.

[2015] 14 एससीआर **848**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

(2018) 13 एस**.** सी**.** सी**. 402**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **32**

(2010) 13 एस**.** सी**.** सी**. 733**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **32**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 3046-3048।

बी.

हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के 2018 के डब्ल्यू. पी. सं. 11116 और 2019 के डब्ल्यू. पी. सं. 2639 में क्रमशः <आई. डी. 3, <आई. डी. 1 और <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेशों से।के. के. वेणुगोपाल, महान्यायवादी, संजय जैन, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, चिन्मायी चंद्र, अंकुर तलवार, श्रीमती अनिल कटियार, वाई. राजा गोपाल राव, एस. दास, वाई. विस्मई राव, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस**.** रवींद्र भट्ट**,** न्याय०

डी.

1. छुट्टी दे दी गई।सहमति के साथ, अपीलों पर अंततः सुनवाई की गई।विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपीलें तेलंगाना उच्च न्यायालय के तीन आदेशों, क्रमशः 28.08.2018,22.07.2019 और 05.08.2019 को लागू करती हैं।ये प्रतिवादी/रिट

याचिकाकर्ताओं (इसके बाद "आंध्र पेट्रो") द्वारा नामित प्राधिकरण (इसके बाद "डीए") के आदेशों को चुनौती देने के संदर्भ में थे, जो डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के प्रश्न से संबंधित था।

ई.

2. तथ्य यह है कि आंध्र पेट्रो ने केंद्र सरकार को आवेदन दिया था, जिसमें सऊदी अरब से भारत में उत्पन्न और निर्यात की जाने वाली सामान्य बुटानोल या एन-ब्यूटाइल शराब के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की गई थी।ब्यूटेनॉल एक बुनियादी कार्बनिक रसायन और एक प्राथमिक अल्कोहल है; यह एसिड-ठीक करने योग्य लाह और बेकिंग फिनिश के लिए एक उत्कृष्ट विलायक है।सामान्य ब्यूटेनॉल का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों में विलायक के रूप में उपयोग के लिए व्युत्पन्न में परिवर्तित किया जाता है।इस आवेदन के परिणामस्वरूप सऊदी अरब से विषय वस्तुओं के आयात में नामित प्राधिकारी द्वारा दिनांकित अधिसूचना 02.09.2016 द्वारा जांच शुरू की गई।

एफ.

जी.

3. आंध्र पेट्रो ने तीन महीने की अवधि के लिए आयात डेटा प्रस्तुत किया।जाँच की अवधि अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक थी।नामित प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों को 23.06.2017 पर लिखित प्रस्तुतियों के बाद सार्वजनिक/मौखिक सुनवाई प्रदान की।आंध्र पेट्रो ने भी सुनवाई में भाग लिया और 30.06.2017 पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दायर कीं।

एच.

1163

अभिकल्पित प्राधिकरण और ओआरएस. v.एम/एस. द

आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

इसने आरोप लगाया कि दी गई जानकारी न केवल जांच की अवधि के लिए थी, बल्कि पूरी चोट की अवधि, 2012-13 से 2014-15 के लिए भी थी।आंध्र पेट्रो ने स्वीकार किया कि सऊदी अरब से डंपिंग जांच की अवधि के अंतिम तीन महीनों यानी जनवरी से मार्च, 2016 में हुई थी और जांच की अवधि के पहले नौ महीनों यानी अप्रैल से दिसंबर, 2015 तक सऊदी अरब से कोई आयात नहीं हुआ था।इसने दावा किया कि इसी उत्पाद की डंपिंग मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ से भी हुई थी।नामित प्राधिकरण द्वारा जाँच की अवधि में इन निर्यातक क्षेत्रों से आयात के संबंध में जाँच भी शामिल थी।आवेदन में आगे दावा किया गया है कि हालांकि सऊदी अरब से आयात केवल जनवरी, 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन इस तरह के डंप किए गए आयात की मात्रा घरेलू उद्योग को भौतिक नुकसान

पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी।यह भारत में बाजार हिस्सेदारी के 39 प्रतिशत पर कब्जा करने की सीमा तक था।

बी.

सी.

4. आंध्र पेट्रो ने जोर देकर कहा कि भारत में सऊदी अरब से होने वाला निर्यात आकस्मिक निर्यात नहीं था, बल्कि भारतीय बाजार को हथियाने के इरादे से किया गया था।इसके अनुसार, सऊदी अरब से भारत में इस तरह के निर्यात घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी हद तक कम और निराशाजनक कर रहे थे और जनवरी से मार्च, 2016 की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का प्रदर्शन लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में प्रतिकूल था।याची कंपनी के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों ने उक्त निर्यात और नुकसान के बीच कारण संबंध को प्रदर्शित किया। विषय देश से फेंके गए आयात ने जनवरी-मार्च 2016 की अवधि में भारतीय बाजार में इतनी महत्वपूर्ण मात्रा में प्रवेश किया कि पी. ओ. आई. (अप्रैल-दिसंबर 2015) के पहले 9 महीनों में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में देखे गए मात्रा मापदंडों में सुधार पूरी तरह से समाप्त हो गया।घरेलू उद्योग और विदेशी उत्पादक द्वारा दी जाने वाली कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर था।इस प्रकार, घरेलू उद्योग देश में उत्पाद की डंपिंग के परिणामस्वरूप लागत से अधिक कीमतें बढ़ाने में असमर्थ था।

डी.

ई.

एफ.

5. घरेलू उद्योग पी. ओ. आई. (अप्रैल-दिसंबर 2015) के पहले 9 महीनों में उप-इष्टतम कीमतों की कीमत पर अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम था।हालाँकि, जनवरी-मार्च 2016 (पी. ओ. आई. के अंतिम 3 महीने) की अवधि में बिक्री की मात्रा में भारी गिरावट आई, जबकि घरेलू उद्योग ने अभी भी कम कीमतों की पेशकश की क्योंकि इस अवधि में सऊदी अरब से ताजा डंपिंग शुरू हुई थी।फिर भी, यह आरोप लगाया गया कि आयात घरेलू कीमतों में काफी कमी कर रहा था।नतीजतन, कीमत में कमी आई

जी.

एच.

घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाव पैदा करना और लाभ में कमी के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से नियोजित पूंजी और नकदी प्रवाह पर प्रतिफल में गिरावट आई।इस प्रकार, मुनाफे में गिरावट, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और नकदी प्रवाह डंप किए गए आयात के कारण था।

6. जाँच कार्यवाही में, आंध्र पेट्रो ने 27.10.2017 पर अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं, जो 24.10.2017 पर आयोजित दूसरी मौखिक सार्वजनिक सुनवाई के अनुसार नामित प्राधिकरण के पद धारण करने वाले पद में परिवर्तन के कारण हुई थीं।इसने 01.11.2017 पर प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ भी दाखिल कीं।सीमा शुल्क के नियम 16 के संदर्भ में (पहचान,

बी.

डंप की गई वस्तु पर डंपिंग रोधी शुल्क का आकलन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (इसके बाद के नियम)

सी.

1995) के अनुसार, नामित प्राधिकरण ने विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया, जो दिनांक 14.11.2017 के प्रकटीकरण विवरण के तहत उनके अंतिम निष्कर्ष का आधार बनेंगे। आंध्र पेट्रो ने इस तरह के बयान पर अपनी टिप्पणी 21.11.2017 पर दर्ज कराई।नामित प्राधिकरण ने 1995 के नियमों के नियम 14 (बी) के तहत जांच को समाप्त करते हुए अधिसूचना दिनांक 28.11.2017 द्वारा अंतिम निष्कर्ष जारी किए।

डी.

7. नामित प्राधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किए:(i) सऊदी अरब से विषय वस्तुओं के निर्यात के पिछले 3 महीनों की पी. ओ. आई. की अवधि घरेलू उद्योग को नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त थी क्योंकि सामग्री क्षति निर्धारण के लिए लंबी अवधि के लिए आयात और घरेलू उद्योग की बिक्री पर डेटा की आवश्यकता होगी।((ii) उत्पादन की छोटी अवधि, विशेष रूप से केवल एक महीने के वाणिज्यिक उत्पादन ने भी उत्पादकों/निर्यातकों को सहयोग करने के लिए एक प्रतिनिधि और यथार्थवादी सामान्य मूल्य के निर्धारण को बाधित किया।

ई.

एफ.

(iii) सऊदी अरब से आयात और घरेलू उद्योग को नुकसान के बीच कारण संबंध तीन महीने की निर्यात अवधि के आधार पर निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया जा सका।

(iv) प्राधिकरण ने सऊदी अरब से आने वाली वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझा और डंपिंग रोधी नियमों के नियम 14 (बी) के तहत जांच को समाप्त कर दिया।

जी.

8. आंध्र पेट्रो ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, शिकायत की कि उसके दो आवेदन, दिनांक 18.10.2016 और 02.12.2016 पर ए के प्रावधानों के अनुसार विधिवत विचार नहीं किया गया था।

एच.

1165

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]

ए.

सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975, विशेष रूप से 1995 के नियमों के नियम 2 (बी) और 2 (डी)।इस रिट याचिका को दिनांक आई. डी. 3 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकरण को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और 1995 के नियमों, विशेष रूप से 1995 के नियमों के नियम 2 (बी) और 2 (डी) के प्रावधानों के अनुसार उनके समक्ष रखी गई पूरी जानकारी के मूल्यांकन के बाद आई. डी. 1 और आई. डी. 2 के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने और एक समय सीमा के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों के अलावा, नामित प्राधिकरण ने एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने से इनकार करते हुए 05.03.2018 दिनांकित एक आदेश पारित किया।इस आदेश का आंध्र पेट्रो ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. 11116/2018, इसके बाद "दूसरी रिट याचिका") में विरोध किया था।9. उच्च न्यायालय के समक्ष, आंध्र पेट्रो ने अब तर्क दिया कि वह 2-ई. एच. का निर्माता था जो 2-पी. एच. और आई. एन. ए. के लिए एक "समान लेख" (जैसा कि 1995 के नियमों के नियम 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है) है। इसने तर्क दिया कि उसने घरेलू उद्योग की ओर से उक्त शराब के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए याचिका दायर करने के लिए 1995 के नियमों के नियम 2 (डी) के सहपठित पढ़े गए नियम 2 (बी) के तहत मानदंडों को पूरा किया।यह आगे तर्क दिया गया कि डब्ल्यू. पी. आई. डी. 2 में पारित इस न्यायालय के दिनांक आई. डी. 1 के एक विशिष्ट निर्देश के बावजूद, नामित प्राधिकरण ने यह निर्धारित नहीं किया कि क्या फेंके गए उत्पाद भारत में बनी समान वस्तुओं के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाते हैं और डंपिंग रोधी जांच शुरू करने से इनकार करते हुए विवादित आदेश पारित किया।

बी.

सी.

डी.

ई.

10. केंद्र सरकार, जिसने रिट कार्यवाही में अपना विवरण दाखिल किया, ने तर्क दिया कि आंध्र पेट्रो ने केवल 2-ई. एच. का उत्पादन किया, न कि आई. एन. ए. और 2-पी. एच. का, और जैसा कि उसने सभी उक्त उत्पादों के लिए संयुक्त आवेदन दायर किया, नामित प्राधिकरण ने याची के अनुरोध को खारिज कर दिया।आंध्र पेट्रो द्वारा यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किए गए पत्र कि 2-ईएच, आईएनए और 2-पीएच 'समान लेख' हैं, किसी भी स्वतंत्र/मान्यता प्राप्त एजेंसी/स्रोत द्वारा जारी नहीं किए गए थे और इसलिए उन पर विचार नहीं किया जा सकता था। यह आगे कहा गया कि हालांकि आंध्र पेट्रो को कई अवसर दिए गए थे, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि कैसे एसाइक्लिक अल्कोहल यानी 2-ई. एच., आई. एन. ए. और 2-पी. एच. 'वस्तुओं की तरह' हैं, जब यह आई. एन. ए. और 2-पी. एच. का उत्पादन नहीं करता है, तो इसने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया, और इसने तीनों उत्पादों के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए एक संयुक्त आवेदन दायर किया।

एफ.

जी.

11. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ और निर्देश देते हुए 28.08.2018 पर दूसरी रिट याचिका का निपटारा कियाः

एच.

“7. 2017 के W.P.No.25988 दिनांक 09.02.2018 में इस न्यायालय के विशिष्ट निर्देश के बावजूद, दूसरे प्रत्यर्थी ने याची के आवेदनों को उक्त आदेश के सही अक्षर और भावना में नए सिरे से नहीं देखा है और विवादित आदेश पारित किया है।दूसरा प्रत्यर्थी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश पर भरोसा करते हुए, अपील No.C/411/2000 दिनांक 11.04.2001 में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य हेक्सनॉल घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित या उत्पादित नहीं है, ने यह कहते हुए विवादित आदेश पारित किया कि आई. एन. ए., 2-पी. एच. और 2-ई. एच. के आयात के संबंध में डंपिंग रोधी जांच शुरू नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जो सऊदी अरब, ई. यू. और सिंगापुर से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है, जिसमें ई. यू. से कार्बन संख्या 8 वाले 2-ई. एच. को शामिल नहीं किया गया है। विवादित आदेश पारित करते समय, दूसरे प्रत्यर्थी ने आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मामले में दिनांकित 29.07.2003 के अंतिम निष्कर्षों और दिनांकित 13.04.2006 के सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के आदेश की अनदेखी की। बनाम। नामित प्राधिकरण 2006 (201) ई. एल. टी. 481 (Tri.-Del.) 'समान वस्तुओं' से निपटने और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए 2-ई. एच. को स्वीकार करने के संबंध में 2-पी. एच. के लिए 'समान वस्तु' है और आई. एन. ए. विषय देशों से आयात किया जाता है।याची 2-ई. एच. का

निर्माता है जो 2-पी. एच. और आई. एन. ए. के लिए एक 'समान लेख' है और यह 1995 के नियमों के नियम 2 (डी) के सहपठित पढ़े गए नियम 2 (बी) के दायरे में आता है।1995 के नियमों के नियम 2 (बी) और 2 (डी) को नीचे पढ़ा गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

“2(ख) 'घरेलू उद्योग' से समान वस्तु के निर्माण में लगे समग्र रूप से घरेलू उत्पादक और उससे जुड़ी कोई गतिविधि या वे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित रूप से फेंकी गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, तो ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जा सकता हैः

एफ.

जी.

बशर्ते कि नियम 11 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, विचाराधीन वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग को दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों को एक अलग उद्योग माना जाएगा, यदि -

एच.

ए.

(i) ऐसे बाजार के भीतर उत्पादक उस बाजार में विचाराधीन वस्तु के अपने सभी या लगभग सभी उत्पादन को बेचते हैं; और (ii) बाजार में मांग क्षेत्र में कहीं और स्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा किसी भी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जाती है।”

बी.

****

2(घ) "समान लेख" से ऐसा लेख अभिप्रेत है जो भारत में फेंके जाने के लिए या ऐसे लेख के अभाव में जांच के अधीन लेख के समान या सभी मामलों में समान है, एक अन्य लेख जिसमें

हालांकि सभी मामलों में समान नहीं है, लेकिन इसकी विशेषताएँ जांच के अधीन लेखों से निकटता से मिलती-जुलती हैं।”

सी.

8. दूसरे प्रत्यर्थी ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है कि क्या आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं और 'समान लेख' पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।दूसरे प्रत्यर्थी की यह कार्रवाई 2017 के डब्ल्यू. पी. संख्या 25988 में इस न्यायालय के दिनांकित 09.02.2018 के आदेश की पूरी तरह से अनदेखी करती है और आक्षेपित आदेश बिना किसी समझदारी के लागू किया गया है।याची को बार-बार आवेदन दायर करने के लिए मजबूर करने का कोई ठोस कारण नहीं है और दूसरा प्रत्यर्थी अपने पास पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद नियमित और आकस्मिक तरीके से आदेश पारित नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

9. उपरोक्त के आलोक में, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है, जिसमें दूसरे प्रत्यर्थी के दिनांक 05.03.2018 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।दूसरे प्रत्यर्थी को यूरोपीय संघ और सिंगापुर से कार्बन संख्या 9 और यूरोपीय संघ से 2-पी. एच. कार्बन No.10 वाले आई. एन. ए. के आयात के संबंध में जांच शुरू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, कानून के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके।लंबित विविध याचिकाएं, यदि कोई हों, तो भी बंद कर दी जाएंगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।”

एफ.

जी.

12. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, डी. ए. ने 28.09.2018,24.10.2018 और 03.12.2018 पर नोटिस जारी किए।यह देखने के बाद कि आंध्र पेट्रो का प्रारंभिक आवेदन 2016 में था (यानी e.18.10।2016 और 02.12.2016), डी. ए. ने आंध्र पेट्रो से अद्यतन डेटा की मांग करते हुए पत्र जारी किए।हालांकि,

एच.

आंध्र पेट्रो ने डी. ए. के 28.09.2018,24.10.2018 और 03.12.2018 पत्रों के खिलाफ उच्च न्यायालय में डब्ल्यू. पी. No.2639/2019 दायर किया।डी. ए. ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि पहला, उच्च न्यायालय का दिनांक 1 का आदेश इसे अद्यतन डेटा के लिए बुलाने से प्रतिबंधित नहीं करता है और इसे (डी. ए.) कानून के अनुसार जांच शुरू करने का निर्देश दिया है; दूसरा, कि उसने उच्च न्यायालय के आदेश का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन और अनुपालन करने के लिए अद्यतन डेटा मांगा है; और अंत में आंध्र पेट्रो इस तथ्य पर चुप था कि उसके द्वारा दायर डेटा 30 महीने पुराना था।

बी.

13. जाहिरा तौर पर, उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को देखते हुए, डी. ए. ने 09.07.2019 पर जांच का नोटिस जारी करने के लिए विवश महसूस किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया हैः

सी.

“8. रिट याचिका 3.7.2019 पर सूचीबद्ध की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले विधि अधिकारी को सलाह दी थी कि उद्योग से वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूरी तरह से प्रलेखित आवेदन दायर करने का अनुरोध करना, जिसमें हाल ही में, अद्यतन, चोट की अवधि और पी. ओ. एल. आदि से संबंधित सभी डेटा शामिल हैं, डब्ल्यू. पी. No.11116/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है और इसलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने और नामित प्राधिकरण को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए इच्छुक था।माननीय न्यायालय ने एक सप्ताह का समय दिया और मामले को 9.7.2019 पर पोस्ट किया।

डी.

ई.

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा कथित डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एडी नियमों के नियम 5 के संदर्भ में घरेलू उद्योग को कथित डंपिंग और परिणामी क्षति की एडी जांच शुरू करता है और एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार करता है जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को नुकसान को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।”

एफ.

14. नोटिस का पैरा 12 इस प्रकार हैः

जी.

“याची ने जनवरी 2016 से दिसंबर 2016 की अवधि के लिए डेटा दाखिल किया है।उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए, प्राधिकरण आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर डंपिंग और चोट का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करके जांच शुरू करता है।हालांकि, आगे की जांच के लिए पी. ओ. आई. को 1.4.2018 से 31.3.2019 से ए के रूप में माना जाना प्रस्तावित है।

एच.

1169

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]
ए.

कथित डंपिंग के कारण याची को डंपिंग, चोट और चोट के कारण का मूल्यांकन करें।”

15. बाद में, उसी तारीख को, एक शुद्धिपत्र जारी किया गया और अंतिम पंक्ति में निम्नलिखित जोड़कर पैरा 12 में संशोधन किया गयाः

“हालाँकि चोट की जाँच की अवधि में अप्रैल 2015-मार्च 2016,16 अप्रैल-मार्च 2017, अप्रैल 2017-मार्च 2018 और जाँच की अवधि शामिल होगी।”

बी.

16. पहले विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं में पिछली मुकदमेबाजी और उसके निर्देशों को फिर से दर्ज करने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की।इसने नोट किया कि डी. ए. ने पहली याचिका के निपटारे के बाद, केवल आंध्र पेट्रो द्वारा मांगी गई जांच की अवधि के संबंध में इसे बढ़ाए बिना (यानी अवधि) अभ्यास किया; इसके कारण डी. ए. ने 5 मार्च, 2018 को आवेदन को खारिज कर दिया और दूसरी रिट याचिका दायर की, जिसके कारण दूसरी रिमांड दी गई।उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिसूचना (दिनांक 09-07-2019)

सी.

इसलिए, "स्वीकार नहीं किया जा सकता" और आगे कहा गया किः“दूसरे रिमांड आदेश के अनुसार जांच की अवधि बढ़ाने की मांग में नामित प्राधिकरण की कार्रवाई, जब उसे पहले रिमांड आदेश के संबंध में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं मिली, स्पष्ट रूप से इसकी प्रामाणिकता की कमी, यदि बदतर नहीं है, और न्यायिक आदेशों के साथ छेड़छाड़ करने के उसके इरादे को इंगित करती है।9. इसके अलावा, प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 09.07.2019 के पैरा 8 में उपयोग की गई भाषा का स्वर और भाव, ऊपर निर्धारित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय के प्रति नामित प्राधिकरण के अनादर को दर्शाता है।यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है कि नामित प्राधिकरण सोचता है कि उच्च न्यायालय उसे चीजों की योजना में सलाह दे रहा है!इसके

अलावा, इस न्यायालय के निर्देश को केवल सलाह करार देते हुए, नामित प्राधिकरण ने इसे दरकिनार कर दिया।

डी.

ई.

एफ.

10. इन परिस्थितियों में, हम श्री सुनील कुमार, अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचार महानिदेशालय, विभाग के खिलाफ 2018 के डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 में दिनांकित 28.08.2018 के आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए, जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, और न्यायालय के प्रति उनके पूर्ण सम्मान की कमी के लिए स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करना उचित समझते हैं।रजिस्ट्री को लेने के लिए निर्देशित किया जाता है

जी.

एच.

1170 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 7 एस. सी. आर.

इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं और स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना मामले को इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए।"

17. स्वतः संज्ञान अवमानना शुरू करने वाले आदेश (दिनांक 22.07.2009) के बाद, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका [W. P. (C) 2639/2019] का निपटारा करने वाले दूसरे विवादित आदेश द्वारा बंद कर दिया।न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

बी.

"2. हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि यह मामला सीमा शुल्क (डंप की गई वस्तु पर डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के तहत उत्पन्न होता है।इस रिट याचिका को दायर करने के बाद, हमें सूचित किया गया कि श्री सुनील कुमार, वर्तमान अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकरण, व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग विभाग, भारत सरकार ने 09.07.2019 की प्रारंभिक अधिसूचना जारी की, जो दर्शाती है कि याची कंपनी की आशंका आधारहीन नहीं थी।इस विकास के आलोक में, यह न्यायालय नाम से उक्त प्राधिकारी के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए विवश था।

सी.

डी.

3. ऐसा होने पर, हमारी राय है कि उक्त प्राधिकारी के लिए 2018 के डब्ल्यू. पी. No.11116 में पारित दिनांकित 28.08.2018 आदेश के अनुसार आवश्यक अभ्यास करना उचित नहीं होगा।हमें सूचित किया जाता है कि तीन अधिकारी हैं। श्री मिथिलाश्वर ठाकुर, श्री सतीश कुमार और सुश्री शुभ्रा, विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक के सभी पद, जो उपरोक्त आदेश के अनुसार अभ्यास करने के लिए सक्षम होंगे।

ई.

एफ.

4. श्री के. लक्ष्मण, भारत के लिए विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल, इस न्यायालय को सूचित करेंगे कि नामित प्राधिकारी को भारत संघ द्वारा नियुक्त विद्वान जाना होगा।

5. हम तदनुसार भारत संघ को निर्देश देने वाली रिट याचिका का निपटारा करते हैं, जिसमें तीसरा प्रत्यर्थी , वन अधिकारी में से एक को चुनने और उसे आवश्यक कार्य करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने और 2018 के डब्ल्यू. पी. No.11116 में पारित दिनांकित 28.08.2018 आदेश के अनुसार अभ्यास करने का निर्देश देता है।यह अभ्यास भारत संघ द्वारा और किसी भी स्थिति में तेजी से पूरा किया जाएगा, न कि ए

जी.

एच.

1171

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]
ए.

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के बाद।लंबित विविध याचिकाएँ, यदि कोई हों, इस अंतिम आदेश के आलोक में बंद हो जाएंगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।"

18. भारत के विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि दोनों विवादित आदेश अस्थिर हैं।यह आग्रह किया जाता है कि 09.07.2019 पर अधिसूचना जारी करते समय, डी. ए. ने कानून के ढांचे के भीतर काम किया।महान्यायवादी ने सीमा शुल्क शुल्क (डंप किए गए सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के नियम 5 (3) के साथ-साथ मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) के प्रासंगिक भाग के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रस्तुत किया कि नवीनतम डेटा नहीं तो समकालीन पर विचार करना डी. ए. द्वारा वैध जांच शुरू करने के लिए एक प्रति शर्त है।

बी.

सी.

19. यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. ए. स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, इस संबंध में साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किए जाने पर कि यह पर्याप्त रूप से डंपिंग चोट और कारण संबंध स्थापित करता है।इसलिए, ऐसे मापदंडों के मूल्यांकन के उद्देश्य से हाल के आंकड़ों को जोड़ना आवश्यक है।इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.), विशेष रूप से पैरा 5.9, को लगातार अपनाया गया है, यह आगे कहा गया कि जांच की यह विधि डब्ल्यू. टी. ओ. के न्यायशास्त्र के साथ-साथ डब्ल्यू. टी. ओ. में डंपिंग रोधी प्रथाओं पर समिति की सिफारिश के अनुरूप है।

डी.

ई.

20. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रश्न कि क्या कोई वस्तु "समान वस्तु" शब्द के अंतर्गत आती है, एक तकनीकी प्रश्न है जिसे प्रासंगिक आंकड़ों द्वारा प्रमाणित किया जाना है।इन परिस्थितियों में, डी. ए. द्वारा इस तरह के प्रासंगिक डेटा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाली स्थिति कभी भी कानून के विपरीत नहीं हो सकती है, कम से कम स्वतः संज्ञान कार्यवाही जारी करने का विषय।अंत में यह तर्क दिया गया कि डी. ए. के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी का चयन केंद्र सरकार के विवेक और इस परिस्थिति पर छोड़ दिया गया है कि

एफ.

उस कार्यालय के पदधारी ने "जांच की अवधि बढ़ाने" की मांग की

उसे हटाने और दूसरे के साथ प्रतिस्थापन का निर्देश देने के लिए एक उचित कारण नहीं था। विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत विद्वान कि क्या कोई वस्तु या सामान "समान वस्तु" के विवरण को पूरा करता है या नहीं, यह डी. ए. के अनन्य क्षेत्र के भीतर आने वाले मामले हैं, जो वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण है।उन्होंने आग्रह किया कि न्यायालय इस धारणा पर एक अधिकारी को दूसरे के साथ प्रतिस्थापित करने का निर्देश हल्के में नहीं दे सकता है कि "समान वस्तु" अभिव्यक्ति में कुछ वस्तुओं को शामिल न करना दुर्भावनापूर्ण था।विद्वान ए. जी. ने न्यायालय से समीक्षा करने का आग्रह विद्वान

जी.

एच.

दो विशिष्ट आधारों पर आक्षेपित आदेश, अर्थात कि तथाकथित "विस्तारित अवधि" कानून के विपरीत है और इसके परिणामस्वरूप अधिसूचित लेखों के अलावा अन्य लेखों को शामिल न करना भी उचित नहीं था।ये डी. ए. के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

21. आंध्र पेट्रो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि विवादित आदेशों विद्वान हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।यह तर्क दिया गया कि डी. ए., बार-बार निर्देशों के बावजूद, आंध्र पेट्रो द्वारा प्रस्तुत की गई इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई 2-एथिल हेक्सेनन (2-ई. एच.) संबंधित देशों से आयातित 2-प्रोपीथेप्टाइल अल्कोहल (2-पी. एच.) और इसोनोनानोल (आई. एन. ए.) जैसी वस्तु है।यह आग्रह किया जाता है कि व्यावसायिक और तकनीकी रूप से, दोनों उत्पाद आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा पेश किए गए 2-एथिल हेक्सानोल से संबंधित "समान उत्पाद" के विवरण के भीतर आ सकते हैं।इसलिए, जांच की वैध शुरुआत के लिए, आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने नियम 2 (8) के तहत गिने गए मानदंडों को पूरा किया।22. यह तर्क दिया गया कि डी. ए. यह समझने में विफल रहा कि जब तक उत्पाद का आयात किया जाता है, तब तक सभी प्रकार की वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार की वस्तुएं समान वस्तु के साथ वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा में हों।इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि नियम 2 (8) के संदर्भ में घरेलू उत्पादक को इसी तरह की वस्तुओं के निर्माण में लगाया जाना चाहिए ताकि शिकायत दर्ज की जा सके और फेंके गए सामान पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की मांग की जा सके, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन दो उत्पादों को जांच से बाहर रखा गया था।श्री रोहतगी ने तर्क दिया कि "लेख की तरह" शब्द के दायरे में वे शामिल हैं जो पात्रों के साथ निकटता से मिलते-जुलते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

23. यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए डी. ए. की जानबूझकर और लगातार चूक निंदनीय थी और विवादित आदेश द्वारा कठोर कार्रवाई का आह्वान किया गया था।विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां तक जांच की अवधि का संबंध है, पिछली किसी भी कार्यवाही में डी. ए. ने कभी यह खुलासा नहीं किया कि शिकायत में उल्लिखित अवधि के अलावा अन्य आंकड़ों को भी जांच के उद्देश्यों के लिए शामिल करने की आवश्यकता है।में ऐसा नहीं किया

एफ.

जी.

1 “धारा 9 ए। फेंकी गई वस्तुओं पर डंपिंग रोधी शुल्क।—

(1) जहां किसी वस्तु का निर्यातक या उत्पादक द्वारा किसी देश या क्षेत्र से (इसके बाद इस खंड में निर्यातक देश या क्षेत्र के रूप में संदर्भित) भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाता है, तो भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक एंटी-ए लागू कर सकती है।

एच.

1173

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]

ए.

इससे पहले की कार्यवाही में, डी. ए. को इस बात पर जोर देने से रोक दिया गया था कि शिकायत के विषय के अलावा एक अवधि या अवधि को भी शामिल किया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक डेटा दिया जाना चाहिए।इसी तरह "समान लेख" के सवाल के संबंध में डी. ए. का दृष्टिकोण कानून के विपरीत है।

बी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

24. प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम की धारा 9 ए को नीचे दिए गए फुटनोट में निकाला गया है।सीमा शुल्क की धारा 9 सी

अधिनियम में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) को उसके निर्धारण या समीक्षा के आदेश के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है।

किसी वस्तु के आयात के संबंध में किसी सब्सिडी या डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव के संबंध में।”

सी.

25. एस एंड एस एंटरप्राइज बनाम नामित प्राधिकरण 2 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि शुल्क लगाने के पीछे का उद्देश्य किसी विशेष देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजारों में वस्तुओं के साथ अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाना है, जो उस दर से कम है जिस पर निर्यातक आम तौर पर अपने देशों में समान या समान सामान बेचते हैं ताकि घरेलू बाजार को नुकसान हो या होने की संभावना हो।” यह नोट किया गया था कि

डी.

डंपिंग रोधी शुल्क चोट के उपचार के लिए एक कदम है, जिसे जी. ए. टी. टी. द्वारा मान्यता प्राप्त है जो संतुलन बनाता है।

ई.

ऐसी वस्तु के संबंध में डंपिंग शुल्क डंपिंग के मार्जिन से अधिक नहीं है।

****

(5) इस धारा के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगाःबशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की समीक्षा में यह राय है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि को पांच साल की और अवधि के लिए बढ़ा सकती है और ऐसी आगे की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगीःबशर्ते कि जहां पाँच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पहले शुरू की गई समीक्षा ऐसी समाप्ति से पहले किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, वहां ऐसी समीक्षा का परिणाम आने तक डंपिंग रोधी शुल्क एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू रह सकता है।

एफ.

जी.

********** 2 (2005) 3 एस. सी. सी. 337

एच.

"अन्य देशों के निर्यातकों का घरेलू बाजारों के हित में देश के भीतर अपने उत्पादों को बेचने का अधिकार।" इस प्रकार 'डंपिंग' का गठन करने वाले कारक हैं (i) उन कीमतों पर आयात जो निर्यातक देश में माल के सामान्य मूल्य से कम हैं; (ii) निर्यात घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।"

बी.

26. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामनामित प्राधिकरण 3 ने समझाया

कि आजादी के बाद बड़ी कठिनाई के साथ बनाए गए उद्योग नहीं होने चाहिए

कुछ विदेशी कंपनियों की अनुचित प्रतिस्पर्धा द्वारा नष्ट होने की अनुमति दी जाए।डंपिंग अनुचित प्रतिस्पर्धा का एक प्रसिद्ध तरीका है जिसे विदेशी कंपनियों द्वारा अपनाया जाता है।" न्यायालय ने यह भी कहा कि, "इसलिए, धारा 9-ए का उद्देश्य एक समान अवसर बनाए रखना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हुए डंपिंग को रोकना है।"

सी.

27. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डी. ए. एक निर्धारित अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया का पालन करता है जिसमें डंपिंग रोधी शुल्क लगाने या न लगाने का निर्धारण (एक रिपोर्ट के माध्यम से) किया जाता है।4 हालाँकि, यह कार्यवाही एक सिफारिश के साथ समाप्त होती है; केंद्र सरकार अंततः यह तय करती है कि इस तरह के कर्तव्य को लागू करना है या नहीं, इस तरह के कर्तव्य की सीमा और इसकी अवधि।5 नियम 4 के तहत, डी. ए. का कर्तव्य है कि वह (i) किसी भी वस्तु

के आयात के संबंध में किसी भी कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव की जांच करे; (ii) उस वस्तु (वस्तुओं) की पहचान करे जिस पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जाना है; (iii) केंद्र सरकार को अनंतिम या अन्यथा निष्कर्ष प्रस्तुत करे; (iv) जांच के तहत वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग के मार्जिन का निर्धारण करे; और (v) भारत में स्थापित उद्योग को नुकसान या खतरे का निर्धारण करे या निर्दिष्ट देशों से वस्तु के आयात के परिणामस्वरूप भारत में किसी उद्योग की स्थापना के लिए सामग्री मंदता का निर्धारण करे।डंपिंग का अर्थ नियम 10 द्वारा परिभाषित किया गया है। 6 नियम 17, जो डी. ए. के निष्कर्षों की बात करता है, उस प्राधिकरण को अपने अंतिम निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करता है।

डी.

ई.

एफ.

3 (2006) 10 एस. सी. सी. 368

4 टाटा केमिकल्स बनाम भारतीय संघ, (2008) 17 एस. सी. सी. 180; ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण (2011) 2 एस. सी. सी. 258

जी.

5 नियम 17 जो डी. ए. द्वारा "सिफारिश" की बात करता है। इसके अलावा, शुल्क लगाने की शक्ति विवेकाधीन है, जो नियम 18 से स्पष्ट है, जो निर्धारित तरीकों का पालन करके डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के लिए केंद्र सरकार पर छोड़ देता है

6 नियम 10 इस प्रकार हैः

“10. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग के मार्जिन का निर्धारण।– अ.

एच.

यदि किसी देश या क्षेत्र ए से निर्यात किया जाता है तो उस वस्तु को फेंक दिया गया माना जाएगा।

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]

ए.

“जांच शुरू होने के एक साल बाद नहीं

एक रिपोर्ट जो निर्यात मूल्य, सामान्य मूल्य और डंपिंग के मार्जिन को रेखांकित करती है, क्या निर्दिष्ट देशों से भारत में वस्तु के आयात से भौतिक क्षति होती है, या नुकसान का खतरा होता है, या भारत में किसी भी उद्योग की स्थापना को भौतिक रूप से बाधित करता है, डंपिंग आयात

के बीच कारण संबंध, आदि। नियम 17 (1) का परंतुक केंद्र सरकार को अपने परंतुक ों में अधिकार देता है।

बी.

“विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि को आगे बढ़ाने का विवेकाधिकार

एक वर्ष से लेकर छह महीने तक, जिसके भीतर जाँच पूरी की जानी है।

28. नियम 20 महत्वपूर्ण है, और निम्नानुसार पढ़ता हैः

“20. कर्तव्य की शुरुआत।- (1) नियम 13 और नियम 19 के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

सी.

(2) उप-नियम (1)-(ए) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां एक अस्थायी शुल्क लगाया गया है और जहां नामित प्राधिकारी ने चोट का अंतिम निष्कर्ष दर्ज किया है या जहां नामित प्राधिकारी ने चोट के खतरे का अंतिम निष्कर्ष दर्ज किया है और आगे यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्थायी शुल्क के अभाव में डंप किए गए आयात के प्रभाव से नुकसान होता है, तो डंपिंग रोधी शुल्क अस्थायी शुल्क के लागू होने की तारीख से लगाया जा सकता है।

डी.

ई.

(ख) अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, डंपिंग रोधी शुल्क ऐसे अस्थायी शुल्क के अधिरोपण से नब्बे दिन पहले शुरू होने की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता हैःबशर्ते कि जांच शुरू करने से पहले घरेलू उपभोग के लिए किए गए आयात पर कोई शुल्क पूर्वव्यापी रूप से नहीं लगाया जाएगाः

एफ.

बशर्ते कि नियम 15 के उप-नियम (6) में निर्दिष्ट मूल्य उपक्रम के उल्लंघन के मामलों में, ऐसे उपक्रम की शर्तों के उल्लंघन से पहले घरेलू उपभोग के लिए किए गए आयात पर पूर्वव्यापी रूप से कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

जी.

परंतुक कि पूर्वगामी परंतुक में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ऐसे उपक्रम के उल्लंघन की स्थिति में,

भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर और ऐसी परिस्थितियों में नामित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ इन नियमों के अनुलग्नक I में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग के मार्जिन का निर्धारण करेगा।”

एच.

अनंतिम शुल्क उपक्रम के उल्लंघन की तारीख या ऐसी तारीख से लगाया गया माना जाएगा जो केंद्र सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे।"

29. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9ए और 1995 के नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, स्पष्ट रूप से एक इरादे का खुलासा करती है कि जांच पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और स्वयं शुल्क (जो विदेशी निर्यातक या देश के लिए विशिष्ट हो सकता है-या दोनों का संयोजन-) पांच साल से अधिक नहीं हो सकता है-जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित समीक्षा के बाद, उक्त अवधि की समाप्ति से पहले, पांच साल से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।ये समयसीमाएँ महत्वपूर्ण हैं; उनका पालन करना डी. ए. का कर्तव्य है।कथित रूप से उल्लंघन करने वाले विदेशी निर्यातकों द्वारा विशेष बाजार व्यवहार के विश्लेषण में, यह निर्धारित करते हुए कि क्या कोई नुकसान मौजूद है, ऐसी चोट का अंतर और इसकी संभावित अवधि का निर्धारण करते हुए, विनिर्माण क्षमता, वित्तीय क्षमताओं, समान क्षेत्र में देश की समग्र क्षमता, कीमतों और स्वीकार्य अपराधी व्यवहार के अंतर के साथ-साथ घरेलू क्षमता, दक्षता आदि जैसे कई सबूतों की जांच करना शामिल है।फैसला

बी.

सी.

डी.

भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स 7 में इस न्यायालय ने नोटिस किया है

कि जी. ए. टी. टी. और मराकेश समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, डंपिंग रोधी नियमों (ए. डी. ए.) को घरेलू कानूनों में शामिल किया जाना है।मराकेश समझौते के अनुच्छेद 5.10 का प्रावधान जांच शुरू करने और निष्कर्ष निकालने के लिए समय सीमा के संबंध में सख्त है।8 अनुच्छेद 10 राज्यों को केवल एक सीमित अवधि (90 दिनों के लिए निर्धारित शुल्क की पूर्ति के अधीन) के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

ई.

शर्तें) "अनंतिम उपायों के आवेदन की तारीख से पहले, जब अधिकारी प्रश्न में फेंके गए उत्पाद के लिए निर्धारित करते हैं

वहः.....” 9 यह 1995 के नियमों के नियम 17 और 20 द्वारा प्रभावी किया गया है।

एफ.

7 (2017) 8 एससीसी 307।

8 अनुच्छेद 5.10 इस प्रकार हैः

“ 5.10 विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, जाँच एक वर्ष के भीतर और किसी भी मामले में उनकी शुरुआत के बाद 18 महीने से अधिक नहीं की जाएगी।’’

9 अनुच्छेद 10.6, मराकेश समझौता।

10 रेफ कम्र।सीमा शुल्क बनाम जी. एम. निर्यात, (2016) 1 एस. सी. सी. 91 पृष्ठ 118 पर, जहां यह देखा गया था किः

जी.

“32.नियम 17 के तहत, नामित प्राधिकरण को अपने अंतिम निष्कर्षों के साथ सामने आने के लिए जांच शुरू करने की तारीख से एक साल का समय दिया जाता है।यह केवल विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और केवल 6 महीने की आगे की अवधि के लिए, और अधिक नहीं (डब्ल्यूटीओ समझौते का खंड 5.10)। महत्वपूर्ण रूप से, नामित प्राधिकरण, अपने अंतिम निष्कर्ष में, शुल्क के पूर्वव्यापी लेवी के लिए भी प्रावधान कर सकता है, जिसके कारण ए

एच.

1177

अभिकल्पित प्राधिकरण बनाम एम./एस. द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड [एस. रवींद्र भट, जे.]

ए.

30. एक पूर्व निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच को पूरा करने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, नियमावली में निहित दिशानिर्देश

व्यापार उपचार जांच के लिए संचालन (जांच की अवधि)

और चोट जांच अवधि) जांच करने के लिए आवश्यक डेटा की समकालीनता के रूप में, महत्व ग्रहण करती है।नियमावली के प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए हैंः

बी.

“ 5.9 आवेदन में प्रस्तावित पी. ओ. आई. जितना संभव हो उतना नवीनतम होना चाहिए, और किसी भी मामले में दीक्षा की तारीख को छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।यदि प्रस्तावित पी. ओ. आई. छह महीने से अधिक पुराना है, तो आवेदक को नए आंकड़ों के साथ संशोधित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

सी.

5.10 पी. ओ. आई. आम तौर पर बारह महीने का होना चाहिए।जहां तक संभव हो, वित्तीय वर्ष के अनुसार पी. ओ. आई. की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्लेषण को आसान और अधिक सटीक बनाएगा।पी. ओ. आई. का चयन इस तरह से करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्ष पी. ओ. आई. में शामिल हो

ताकि कम से कम पी. ओ. आई. की एक आंशिक अवधि के लिए लेखापरीक्षित विवरण की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। महीनों की किसी भी विषम संख्या के बजाय तिमाहियों के संदर्भ में अवधि जोड़ना हमेशा वांछनीय है (क्योंकि वित्तीय परिणाम केवल तिमाही के आधार पर तैयार किए जाते हैं) क्योंकि अन्य इच्छुक पक्षों के लिए ऐसी विषम अवधि के लिए अपने लेखापरीक्षित आंकड़े जमा करना मुश्किल हो सकता है।"

डी.

ई.

31. इन दिशानिर्देशों का तर्क स्वयं स्पष्ट है:पिछली अवधि के लिए की गई किसी भी जांच के परिणामस्वरूप न्यूनतम शुल्क लगने की पूरी संभावना है।उदाहरण के लिए, यदि 2020 में, एंटी-डंपिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से 2013-14 अवधि के लिए जांच शुरू की जाती है, भले ही हानिकारक व्यवहार पाया जाए, तो शुल्क केवल सीमित अवधि का हो सकता है।इसके अलावा, निष्कर्ष दिए जाने के बाद की अवधि के लिए शुल्क लगाने के लिए, पी. ओ. आई. पुराने परिणाम देगा, और बाद की अवधि के लिए शुल्क लगाने को उचित नहीं ठहरा सकता है।इसे ध्यान में रखते हुए, डी. ए., जाहिरा तौर पर वर्तमान मामले में, पैरा 5.9 (ऊपर उद्धृत) को ध्यान में रखते हुए आंध्र पेट्रो को अपेक्षाकृत समकालीन डेटा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इस तरह की कार्रवाई को मनमाना नहीं कहा जा सकता।इस अदालत की राय में, विवादित आदेश डी. ए. को दंडित करने और यहां तक कि उनके प्रतिस्थापन का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से गलत थे, जो कि निर्धारित प्रक्रिया का उनका पालन प्रतीत होता है।

एफ.

जी.

इसके लिए, और इस तरह के पूर्वव्यापी लेवी के शुरू होने की तारीख।यह स्पष्ट रूप से धारा 9-ए (3) के लिए संदर्भित है, जो डब्ल्यूटीओ समझौते के खंड 10.6 को पुनः प्रस्तुत करता है।कारण उक्त उप-धारा में उल्लिखित कारण होने चाहिए, और, जैसा कि उक्त उप-धारा में उल्लेख किया गया है, इस तरह का पूर्वव्यापी शुल्क अस्थायी शुल्क लगाने की अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों से आगे शुरू नहीं हो सकता है।"

एच.

32. न्यायिक समीक्षा तक पहुंच नागरिकों और पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान किया गया एक मूल्यवान अधिकार है; संविधान उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 32 के तहत शक्तियों से लैस करता है। साथ ही, संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा शिकायत द्वारा शुरू

की गई चल रही जांच में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली असाधारण विशेषताओं को छोड़कर, न्यायिक समीक्षा का उपयोग वस्तुतः डी. ए. के कार्यों की निरंतर निगरानी के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।इस न्यायालय ने एक से अधिक बार आगाह किया है कि न्यायिक समीक्षा का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां अंतिम निष्कर्ष डी. ए. द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। 11.

बी.

33. पूर्वगामी कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि विवादित आदेश, अर्थात, यूरोपीय संघ से आयातित वस्तुओं की डंपिंग रोधी जांच के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने वाला 28.08.2018 का आदेश; दिनांकित 22.07.2019 का आदेश (डीए के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करना) और दिनांकित 05.08.2019 के आदेश को अपास्त करनाना होगा।पहले दो आदेशों को तदनुसार अपास्त करना जाता है।तीसरा आदेश (दिनांक 05.08.2019), इस हद तक कि यह मौजूदा डी. ए. के प्रतिस्थापन का निर्देश देता है, को अपास्त करना दिया जाता है।लागत पर आदेश के बिना, उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

11 एंटी-डंपिंग महानिदेशालय बनाम संदिक इंटरनेशनल (2018) 13 एस. सी. सी. 402; एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड (2010) 13 एस. सी. सी. 733।

एच.